भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1215

उत्तर देने की तारीख - 28/07/2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

"अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम"

1215. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षुता आधारित डिग्री कार्यक्रमों को औपचारिक रुप देने का है ताकि प्रशिक्षु व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ मान्यता प्राप्त डिग्री भी प्राप्त कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इन डिग्रियों वाले कुशल लोगों को विदेशी ग्राहक स्थलों पर तैनात करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के बीच कौशल योजनाओं का बंटवारा दोहराव और अकुशलता का कारण न बने;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रमाणन, डेटा साझाकरण और नियोक्ता आउटरीच को एकीकृत करने के लिए एक समान प्रशिक्षुता पोर्टल स्थापित करने का है ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, अनुपालन संबंधी बाधाओं को कम किया जा सके और प्रशिक्षुओं तथा नियोक्ताओं के लिए पहुंच में सुधार किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) छात्रों की रोज़गार क्षमता में सुधार लाने के लिए 2020-21 केंद्रीय बजट में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा प्रोग्राम (एईडीपी) की घोषणा की गई थी। तदनुसार, एआईसीटीई ने तकनीकी छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने के संबंध में अपने अनुमोदित संस्थानों को सूचित कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने 6 जून, 2023 को तकनीकी शिक्षा के लिए "प्रशिक्षुता एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम" पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की विभिन्न बैठकों और समिति के सदस्यों, हितधारकों, एमएसडीई और एनसीवीईटी और शिक्षा मंत्रालय के सुझावों को शामिल करने के बाद, एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम (एईडीपी-टीआई) पर अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए हैं। एईडीपी दिशानिर्देश डिग्री/डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए लचीला नियामक ढांचा प्रदान करते हैं और उच्च योग्यता में प्रगति, गुणवत्ता वाले अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों की जिम्मेदारियों, उद्योग-संस्थान सहयोग को बढ़ाने में सरकार/उद्योग संगठनों के समर्थन और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे मुद्दों का समाधान करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विशेषज्ञों और हितधारकों द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार किया है यह शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 4 नवंबर, 2024 के पत्र सं. 16-5/2020-टीएस.VIII (भाग II) द्वारा अनुमोदित है।

हालाँकि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि उच्च शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने में अप्रेंटिसशिप की महत्वपूर्ण भूमिका है, यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट सभी विषयों में "उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश" जारी किए हैं ताकि डिग्री में अप्रेंटिसशिप को शामिल किया जा सके। जहाँ यूजीसी के कौशल-आधारित शिक्षा कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा के साथ कुशल कार्यबल विकसित करने पर ज़ोर देते हैं, वहीं अप्रेंटिसशिप पर यह ज़ोर सामान्य स्ट्रीम में छात्रों की रोज़गार क्षमता में सुधार लाने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर के डिग्री कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों की रोज़गार क्षमता में वृद्धि करना; स्नातक स्तर के गुणों और वांछित दक्षता स्तरों को हासिल करने के लिए सभी डिग्री कार्यक्रमों में परिणाम-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना; उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बीच सक्रिय संपर्क को बढ़ावा देना; उच्च शिक्षण संस्थानों और/या बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी)/बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी) के साथ साझेदारी में एईडीपी को प्रभावी ढंग से लागू करके उद्योगों में कौशल अंतर को पाटना है।

(ख) भारत में शिक्षुता प्रशिक्षण, शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित, उद्योग-आधारित, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास के लिए आधारशिला का काम करता है। अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय शिक्षुता परिषद

(सीएसी) राष्ट्रीय शिक्षुता नीतियों को आकार देने, व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग की माँगों के अनुरूप बनाने और अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 26 मई 2025 को आयोजित सीएसी की 38वीं बैठक ने देश के शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया। इस संबंध में लिए गए प्रमुख निर्णयों में, प्रतिष्ठानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधित शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के अधीन देश के भीतर या विदेश में ग्राहक के स्थानों पर प्रशिक्षुओं को तैनात करने में समर्थ बनाना। से एक था सीएसी की सिफारिश को सरकार ने ध्यान में रखा है, और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के लिए शिक्षुता नियम, 1992 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री की अध्यक्षता में 17 अगस्त, 2021 को आयोजित एक बैठक में, प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के प्रबंधन में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) हाल ही में इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, सैंडविच इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों और बीए, बी.कॉम. और बी.एससी. डिग्री धारकों जैसे सामान्य स्नातकों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का संचालन जारी रखेगा। एमएसडीई अन्य सभी श्रेणियों के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के लिए ज़िम्मेदार होगा। एमएसडीई द्वारा 16 जून, 2023 को वैकल्पिक ट्रेडों के बारे में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया।

(घ) एवं (ड़) एनएपीएस और एनएटीएस दोनों के आईटी प्लेटफार्मों की प्रक्रिया प्रवाह अलग-अलग पाए गए, लेकिन उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करने और अनुपालन मुद्दों को कम करने हेतु दोनों पोर्टलों के लिए एक सामान्य पहुंच बिंदु बनाने के उपाय शुरू किए गए हैं।

*****